...य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

...ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
2/019	अपील इंतकाल 209	मुगोर	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षकं	प्रतिवादी
श्रीकृष्ण	बनाम	नवलकिशोर

वकील :- जगदीशचन्द्र नागर एडवो.

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
13/8/019	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपील इंतकाल नं० 209 विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 30/9/019 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/9/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 4.11.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
4/11/019	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 9.12.019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
14/1/20	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 11.2.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

मु.नं. ....

उनवान :..........

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक	
27/01/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस नहीं दी सकी है। समय चाहा है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8-2-21 को पेश हो।
25/8/21	पत्रावली COVID-19 के कारण पूर्ववत स्थिति में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 31/8/21 को पेश हो।
31/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित। अपील इन्तकाल नं. 201 स्वीकार की जाती है। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

निर्णय वइजलास श्रीमती मनीषा तिवारी आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 02 / 2019
दायरा दिनांक 13 / 08 / 2019
निर्णय दिनांक 31/08/2021

उनवान

1. श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकिशन पुत्र भेरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कडैयावन हाल छबडा तहसील छबडा जिला बारां

................अपीलान्ट

बनाम

1. नवलकिशोर पुत्र रामप्रताप
2. बिरधी बाई पत्नी राधेश्याम
3. शीला बाई पुत्री हंसराज
4. ममता पुत्री हंसराज
5. रीना पुत्री हंसराज
6. ललता बाई पत्नी हंसराज
7. प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण
8. बद्रीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
9. ललताबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण
10. शांतिबाई पुत्र पत्नि लक्ष्मीनारायण
11. जानकीलाल पुत्र भेरूलाल निवासीगण कडैयावन तहसील छबडा जिला बारां
12. सरपंच ग्राम पंचायत गुगोर तहसील छबडा जिला बारां

...........रेस्पोडेंट

अपील इंतकाल नंबर 209 वाके ग्राम गुगोर तहसील छबडा

अभिभाषक अपीलांट – श्री जगदीश चन्द नागर

रेस्पोडेंट–

निर्णय दिनांक 31/08/021

अभिभाषक प्राथी द्वारा अपील इंतकाल नंबर 209 विरूध्द अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम गुगोर तहसील छबडा में भूमि खसरा न0 319/1 रकबा 7.18 बीघा स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट कम 1 ता 11 के नाम संयुक्त रूप से खाते दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा, जिला बारां (राज0)

उक्त वर्णित भूमियात अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट कम 1 ता 11 के पूर्वजों की जायदाद रही है। जिस पर अपीलान्ट को अपने जन्म से अधिकार प्राप्त है तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट कम 1 ता 11 द्वारा मौके पर आपस में बंटवारा कर रखा है। जिसमें उक्त भूमि में अपीलान्ट का हिस्सा 1/4 है। अपीलान्ट अपने हिस्से की भूमि को निर्विवाद रूप से काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्ट के पिता भेरूलाल की मृत्यु के पश्चात् जो फोती इंतकाल खोला गया, उसमें मृतक भेंरूलाल के वारिसान के रूप में अपीलान्ट के स्थान पर दौलतराम का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि वास्तविकता में अपीलान्ट का नाम दर्ज होना चाहिए था। दौलतराम तो अपने पिता भेरूलाल के जीवनकाल से ही अविवाहित नाबालिग अवस्था में ही खत्म हो गया था। फोती इंतकाल के समय दौलतराम का कोई अस्तित्व ही नहीं था।

अपीलान्ट के पिता के नाम उक्त भूमि के अलावा अन्य ग्रामों में भी भूमियात स्थित थी। जिसमें अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात् जो इंतकाल खोला गया, उसमें अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया था, उसमें दौलतराम का कोई अंकन नही था, लेकिन भूलवश उक्त इंतकाल में अपीलान्ट के स्थान पर दौलतराम दर्ज कर दिया गया। चूंकि दौलतराम नाम का काई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं होने से बाद में उसका नाम खाते से खारिज कर दिया गया तथा दौलतराम का नाम दर्ज होने से अपीलान्ट का नाम दर्ज होने से रह गया। जबकि वास्तविकता में मृतक भेरूलाल के वारिस के रूप में बतौर पुत्र अपीलान्ट का नाम दर्ज होना चाहिए था।

उक्त अपीलान्ट मृतक भेरूलाल की जायज संतान एवं वैध उत्तराधिकारी होने से अपील की मद नंबर 1 में भेरूलाल की मृत्यु के बाद खोले गए फोती इंतकाल को निरस्त करवाकर पुनः इंतकाल खुलवाकर मृतक भूरूलाल के वारिस के रूप में अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

उक्त अपील में वर्णित भूमियात अपीलान्ट की पैत्रिक जायदाद होने से उसका हिस्सा होने से मौके पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण अपीलान्ट को उक्त गलती का आज तक कभी भी ज्ञान नहीं हुआ।

अपीलान्ट दिनांक 31.07.2019 को बैंक से ऋण लेने के लिए नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया तथा नकले लेने पर अपीलान्ट को उक्त तथ्य की जानकारी होने से अपीलान्ट द्वारा दिनांक 31.07.2019 को इंतकाल की नकल प्राप्त की। अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य पेश है।

उक्त अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल नंबर 209 वाके ग्राम गुगोर को निरस्त फरमाया जाकर उक्त इंतकाल खोले जाने हेतु व अपीलान्ट का नाम मृतक भेरूलाल के वारिस के रूप में दर्ज किए जाने हेतु तहसीलदार के नाम आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

अपीलान्ट निम्न कारणों से अपील पेश करते हैं –

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगणों के बाद तामील सम्मन प्राप्त हुए परन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल इंतकाल ग्राम गुगौर तहसील छबडा इंतकाल नं. 209, नकल इंतकाल नं. 131 ग्राम कडैयावन नकल इंतकाल नं. 188 ग्राम कडैयावन, नकल जमाबंदी ग्राम गुगौर सम्वत 2030–33, नकल जमाबंदी ग्राम गुगौर 2026 से 2029, नकल जमाबंदी गुगौर सम्वत 2071–74, नकल जमाबंदी ग्राम खोपर सम्वत 2071–2074 नकल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम कडैयावन पेश किया गया।

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि अपीलांट के पिता भैरूलाल के फोत होने के पश्चात जो फोती इंतकाल खोला गया उसमें मृतक भैरूलाल के वारिसान के रूप में अपीलांट श्री कृष्ण उर्फ श्री किशन के स्थान पर दौलतराम का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तविकता में अपीलान्ट श्रीकिशन का नाम दर्ज होना चाहिये था। दौलतराम तो पिता भैरूलाल के जीवन काल में ही अविवाहित फोत हो गया था जो नाबालिग था। इंतकाल के समय दौलतराम का कोई अस्तित्व नहीं था।

अपीलान्ट के पिता भैरूलाल के नाम अन्य ग्रामों में भी जमीन थी जिसमें अपीलान्ट के पिता की मृत्यु पश्चात जो इंतकाल खोला गया। उसमें अपीलांट के स्थान पर दौलतराम दर्ज कर दिया गया। चूंकि दौलतराम नाम का कोई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं होने से वाद में उसका नाम खाते से खारिज कर दिया गया तथा अपीलांट श्रीकिशन का नाम दर्ज होने से रह गया। जबकि वास्तविकता में मृतक भैरूलाल के वारिसान के रूप में अपीलान्ट का नाम दर्ज होना चाहिये था। श्रीमान अपीलान्ट की अपील स्वाकार की जाकर इंतकाल नं. 209 वाके ग्राम गुगौर को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम मृतक भैरूलाल के वारिस के रूप में दर्ज कराने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेश फरमावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज इन्तकाल नं. 209 ग्राम गुगौर, इन्तकाल नं. 131 ग्राम कडैयावन नकल इन्तकाल नं. 188 ग्राम कडैयावन का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलान्ट के पिता भैरूलाल को मृत्यु के पश्चात उनके सुलमी पुत्र प्रताप, लक्ष्मीनारायण, जानकीलाल, श्री कृष्ण व दौलतराम पुत्र भैरूलाल है।

चूंकि इन्तकाल नं. 131, 188 ग्राम कडैयावन का अवलोकन करने पर अपीलांट श्री किशन पुत्र भैरूलाल दर्ज होना पाया जाता है परन्तु इन्तकाल नं. 209 ग्राम गुगौर का अवलोकन करने पर अपीलान्ट श्री किशन का नाम दर्ज होना नही पाया जाता है। जबकि भैरूलाल के वारिसान के रूप में श्रीकिसन का नाम दर्ज होना चाहिये था। जो नही किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूंची हूँ कि इन्तकाल नं. 209 में भैरूलाल के सुलमी पुत्र श्रीकृष्ण का नाम दर्ज नही होने से इन्तकाल नं. 209 खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इन्तकाल नं. 209 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

–कियात्मक आदेश–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील इंतकाल स्वीकार की जाती है। इन्तकाल नं. 209 खारिज किया जाता है। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि मृतक भैरूलाल के वारिसान की पुनः जांच करे तथा बाद जांच हितबद्ध वारिसान/पक्षकारान की सुनवाई कर न्यायोचित कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां